स्पीड पोस्ट

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
(A Constitutional Body under Article 338A of the Constitution of India)

File No. 33/Press Clipping/7/2018/RU-III

दिनांक: 13–09–2018

सिटिंग नोटिस

विषय: आदिवासी बहुल क्षेत्र में सड़क निर्माण में लापरवाही के संबंध में "चीफ इंजीनियर की अंतिम चेतावनी भी बेअसर–ठेकेदार ने एनएच का निर्माण शुरू नहीं किया" शीर्षक से प्रकाशित समाचार।

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने संवैधानिक अधिदेश और भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरणों में अन्वेषण करने का निर्णय लिया है।

2. श्री नंद कुमार साय, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण / जांच / की जाने वाली कार्रवाई के लिए पत्थलगांव में दिनांक **24–09–2018 को 2.00 बजे** सिटिंग (बैठक) निर्धारित की है।

3. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों / दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से माननीय अध्यक्ष के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

4. कृपया ध्यान रखे कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क खंड (8) के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(आर. के. दुबे)
सहायक निदेशक
दूरभाष–24615012

सेवा में,

1. चीफ इंजीनियर,
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय,
ट्रांसपोर्ट भवन, नं.–1, पालियामेंट स्ट्रीट,
नई दिल्ली – 110001

2. चीफ,इंजीनीयर,
(राष्ट्रीय राजमार्ग जोन)
लोक निर्माण विभाग,
रायपुर, छत्तीसगढ

3. क्षेत्रीय अधिकारी,
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय,
पेंशन बाड़ा,रायपुर,
छत्तीसगढ़ – 492001

4. कलेक्टर,
जिला – जशपुर,
छत्तीसगढ़